08-05-2022

Punjab Kesari

Pleaded before consumer bodies

उपभोक्ता निकायों के समक्ष पक्ष रखा

चंडीगढ़, 7 मई (पाल): न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एन.ए.पी.आई.) द्वारा आज अस्वस्थ खाद्य/पेय उत्पादों पर फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग (एफ.ओ.पी.एल.)पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए अपना वक्तव्य जारी किया है।डॉ.अरुण गुप्ता, कन्वीनर, न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एन.ए.पी.आई.) ने पॉजीशन स्टेटमैंट पेश करते हुए कहा कि एन.ए.पी.आई. में मानते हैं कि एफ.एस.एस.ए.आई. अपने दृष्टिकोण और अस्वास्थ्यकर खाद्य और पेय उत्पादों पर हैल्थ स्टार रेटिंग्ज को शामिल करने के निर्णय दोनों में गलत हो गया है।

हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश भर के प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता निकाय इस गैर-जिम्मेदाराना कदम के खिलाफ एक साथ आए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले 22 भारतीय संगठनों द्वारा समर्थित, यह बयान भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) की हाल ही में घोषित योजनाओं का कड़ा विरोध करता है, जिसमें वार्निंग लेबल्ज के बजाय हैल्थ स्टार रेटिंग्ज (एच.एस.आर.) को नमक, चीनी या वसा में उच्च पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए ऑफ-पैक लेबल फ्रंट के रूप में अपनाया जाए।

आशिम सान्याल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंज्यूमर वॉयस कहा कि हैल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सात साल की लंबी लड़ाई को हरा देगा।